न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-359/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) उमेश राम, पिता-महेन्द्र राम,
सा0-खमखोल
पो0-अमराहा, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया

(2) नईम, पिता-अंगरू मियाँ,
सा0-रजौली डुमरिया, पो0-बटराहा, थाना-सोनामनी गोदाम,
जिला-अररिया
(बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38F-1799
चेसीस सं0-MD2A14AZ3DRH45541
ईंजन सं0-JBZRDH79725 के मालिक) ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-415/ हि0शा0,दिनांक-16.02.2020) के आलोक में फुलकाहा थाना कांड संख्या-202/2019, दिनांक-15.12.2019, धारा-30(क)/41(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38F-1799, चेसीस सं0-MD2A14AZ3DRH45541, ईंजन सं0-JBZRDH79725 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के वावजूद विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-415/हि0शा0, दिनांक-16.02.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक उप निरीक्षक, मूलराज शर्मा, बाहरी सीमा चौकी, प्रभारी सीमा चौकी, पथरदेवा द्वारा दिनांक 15.12.2019 को गश्ती के कम में आसूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किये। गश्ती के दौरान बाहरी सीमा चौकी पथरदेवा से भरहर चौक गोलम्बर की ओर आते हुए बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR38F-1799, ईंजन नं0- JBZRDH79725, चेचिस नं0-MD2A14AZ3DRH45541 का दो स्वतंत्र गवाहों 1. विजय कुमार साह, पिता-भुवनेश्वर साह, ग्राम-चैनपुर, पो0-नवाबगंज, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया एवं 2. चंदन कुमार साह, पिता-प्रहलाद साह, ग्राम-भोरहर, पो0-भंगही, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी लिया गया। मोटर साईकिल के डिक्की तथा सीट के अन्दर से 45 बोतल प्रति बोतल-300 मिली लीटर नेपाली शराब कुल-13.500 लीटर बरामद किया गया। बरामद शराब एवं बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0-BR38F-1799, ईंजन नं0-JBZRDH79725, चेचिस नं0-MD2A14AZ3DRH45541 को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया तथा विपक्षियों के विरूद्ध फुलकाहा थाना कांड संख्या-202/19, दिनांक-15.12.2019, धारा-30(क)/41(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विपक्षी द्वारा जब्त वाहन का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक रूप में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।	

अधिहरण वाद संख्या-359/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-415/हि०शा०, दिनांक-16.02.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि फुलकाहा थाना कांड संख्या-202/2019, दिनांक-15.12.2019, धारा-30(क)/41(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग 13.5 लीटर नेपाली शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। फुलकाहा थाना कांड संख्या-202/19, दिनांक-15.12.2019, धारा-30(क)/41(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2016 में **जब्त बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR38F-1799, चेसीस सं0-MD2A14AZ3DRH4-5541, ईंजन सं0-JBZRDH79725 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया 1/04 समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1018/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)	